संख्या-24 /2025/807/30-03-2025

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2025

विषय: जनपद-बलिया में प्रमुख चौराहों पर आम-जनमानस की सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्थित किये जाने हेतु सी०सी०टी०वी० कैमरे की स्थापना हेतु आगामी कोष प्रबन्धन समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-827स0सु0/2025-08स0सु0/2021(Vol-3), दिनांक 30 मार्च, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारी, बलिया के पत्र दिनांक 29-03-2025 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में जनपद बलिया में महत्वपूर्ण चौराहों पर आम जनमानस की सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्थित किये जाने हेतु सी०सी०टी०वी० कैमरे की स्थापना हेतु धनराशि रू0 4,98,13,800/- (रुपया चार करोड़ अट्ठान्नबे लाख तेरह हजार आठ सौ मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 295.16 लाख (रू0 दो करोड़ पन्चानवे लाख सोलह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति आगामी कोष प्रबन्धन समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रदान करते हुए नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
(3) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।
(4) योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
(5) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
(6) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2024/बी-1-294 /दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(7) मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति की आगामी बैठक में प्रस्ताव पर स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेंगे।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-797-X-2024-25, दिनांक 31 मार्च, 2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-24/2025/807(1)/30-3-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, बलिया को उनके पत्र संख्या-1987/स्था0नि0लि0, दिनांक 29-03-2025 के क्रम में।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।